न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2025/70

अपील संख्या – 38/25

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

1. जगदीश पुत्र रामफूल
2. सीमा पत्नि जगदीश जातियान मीना निवासी नाहर खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. बसन्ता पुत्र धनपाल
2. रामअवतार पुत्र रामफुल
3. स्वरूपी पत्नि रामअवतार समस्त जातियान मीना निवासीयान नाहर खोहरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
4. तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 81/24 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 26.3.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री हंसराम गुर्जर

अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुरेश चंद शर्मा, श्री ईश्वर सोनी

दिनांक 19.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 26.3.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी ,तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम भीमपुर की आराजी खसरा न0 6 रकबा 0.39 है0 वादी हिस्सा 5/8 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बाकी हिस्से मे प्रतिवादी न0 1 व 2 खातेदार काश्तकार रिकार्ड दर्ज है। खसरा न0 13 रकबा 0.11, 19 रकबा 0.43 कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 है0 मे वादी हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार रिकार्ड दर्ज है। बाकी हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खसरा न0 21 रकबा 0.06, 990/17 रकबा 0.19 कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 है0 मे वादी 5/8 का खातेदार काश्तकार रिकार्ड दर्ज है। बाकी हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 4 खातेदार काश्तकार रिकार्ड दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर अपने अपने हिस्से के अनुसार अपनी अपनी भूमि का बहामी बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार वादी का खसरा न0 6 रकबा 0.39 सम्पूर्ण, 21 सम्पूर्ण, 990/17 रकबा 0.19 है0 मे से 0.0850 है0 पर कब्जा काश्त है। जिसका [illegible] हुआ है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई किसी प्रकार का संबंध नही है। लेकिन वादी व प्रतिवादी के मध्य रिकार्डेड बंटवारा नही होने से आये दिन डोल मेड पर विवाद बना रहता है। आराजीयात खसरा न0 6 रकबा 0.39 है0 मे वादी के नाम के आगे सा.देह खातेदार दर्ज है जो कि गलत है क्योकि वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:44 IST
Reason: SelfAttested

नाहरखोहरा तहसील सिकराय, जिला दौसा का स्थाई निवासी है इसलिए उक्त आराजी खसरा न0 6 की दर्ज सकूनत सा.देह खातेदार को हजफ किया जाकर ग्राम नाहरखोहरा तहसील सिकराय जिला दौसा दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जावे कि खसरा न0 6 रकबा 0.39 है0 मे दर्ज खातेदार वादी का नाम बसन्ता राम पुत्र धनपाल हिस्सा 5/8 जाति मीना सा.देह खातेदार को हजफ किया जाकर इसके स्थान पर बसन्ता राम पुत्र धनपाल हिस्सा 5/8 जाति मीना निवासी नाहरखोहरा तहसील सिकराय जिला दौसा दर्ज किया जावे तथा ग्राम भीमपुर की आराजी खसरा न0 6 रकबा 0.39, 13 रकबा 0.11, 19 रकबा 0.43, 21 रकवा 0.06, 990/17 रकबा 0.19 है0 मे तहसीलदार टोडाभीम को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मुताविक कब्जा बंटवारा स्कीम तलब की जाकर दावा वादी फाईनल डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पावंद फरमाया जावे कि वादी को बिना बाधा काश्त करने देवे एवं निर्माण नही करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा न0 6 रकवा 0.39 है0, 13 रकवा 0.11 है, 19 रकवा 0.43 है0, 21 रकबा 0.06 है0, 990/17 रकबा 0.19 है0 स्थित ग्राम भीमपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे स्थित है। उक्त भूमि के सबंध मे वादीगण/रेस्पो0 ने वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी व तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसमे अपीलांटगण द्वारा जवाब व काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि अपीलांटगण खसरा न0 6 रकवा 0.39 है0 मे अपीलांट संख्या 1 हिस्सा 1/4 तथा अपीलांट संख्या 2 हिस्सा 1/8 के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त नम्बर पर ही अपीलांटगण काबिज एवं काश्तकार है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही कर के सरसरी तौर पर प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय प्रतिवादीगण/अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया और प्राथमिक डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम [illegible] गई है और ना ही अपीलांटगण की और से कोई साक्ष्य ली है और सीधे ही प्राथमिक डिक्री पारित की है इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण के अधिवक्ता की सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

होने का अंकन किया है जबकि अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपीलांटगण की बिना सहमति के साजिशी तौर पर डिक्री पारित करवा ली है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.3.25 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 ग्राम भीमपुर के खसरा नम्बरान के मुताबिक कब्जा एवं हिस्से अनुसार एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण की आपसी सहमति के आधार पर ही दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन गलत है कि उनको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है बल्कि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अर्थात अपीलांट वकालतन उपस्थित हुए है एवं उनके द्वारा जबाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार टोडाभीम को विवादित आराजीयात के बाबत बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा स्कीम तलब की गई है। जिसके अनुसार ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अर्थात अपीलांट का काउन्टर क्लेम भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम भीमपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली की जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के आराजी खसरा न0 6 रकबा 0.39 है0 मे जगदीश पुत्र रामफूल हिस्सा 1/4 , बसन्ता राम पुत्र धनपाल हिस्सा 5/8 व सीमा देवी पत्नि जगदीश हिस्सा 1/8 दर्ज है इसी प्रकार खसरा न0 13 व 19 मे जगदीश पुत्र रामफूल हिस्सा 1/4, बसन्ता राम पुत्र धनपाल हिस्सा 1/4, रामावता पुत्र रामफूल हिस्सा 1/4, सरूपी पत्नि रामावतार हिस्सा 1/8 व सीमा देवी पत्नि जगदीश हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा न0 21 व 990/17 मे जगदीश पुत्र रामफूल हिस्सा 1/4, बसन्ता राम पुत्र धनपाल हिस्सा 5/8 व सीमा देवी पत्नि जगदीश हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त आराजीयात सहखातेदारी की आराजीयात है। जिसका रिकार्डेड बंटवारा नही होने के कारण वादी को विधिवत बंटवारा कराने का अधिकार प्राप्त रहा है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा बिना अपीलांट की सहमति के ही साजिशी रूप से बंटवारा करने पर सहमति दी [illegible]। जबकि अपीलांट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को किसी प्रकार की कोई सह[illegible] को विधिवत रूप से साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। बं[illegible] स्कीम पर अपीलांट अधिवक्ता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना अपीलांट अधिव[illegible] द्वारा दौराने बहस कथन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Baloi
Date: 2026.04.16 15:25:44 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट अधिवक्ता के इस कथन से हम सहमत है। क्योकि किसी सहखातेदार की अनुमति के बिना अधिवक्ता को किसी प्रकार की सहमति दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। इस प्रकार अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.3.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को बहाल रखते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई को समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण आधार पर निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के मुकदमा न0 81/24 मे पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.3.25 को बहाल रखते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण आधार पर फाईनल डिक्री पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 29.10.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 19.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:44 IST
Reason: SelfAttested